न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/74

1. हरदेवा पुत्र नन्दा जाति माली निवासी खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
2. मोहनलाल पुत्र हरदेवा जाति माली निवासी खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
3. मनीष पुत्र हेमराज जाति माली निवासी खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

– अपीलांटगण

बनाम

1. जाहिद मिर्जा पुत्र रशीद बेग जाति मुसलमान
2. शाहिद मिर्जा पुत्र रशीद बेग जाति मुसलमान
3. अशरफ मिर्जा पुत्र रशीद बेग जाति मुसलमान
4. जावेद मिर्जा पुत्र रशीद बेग जाति मुसलमान निवासी नारायण पान वाले की गली रामपुरा जिला कोटा
5. बिरधीलाल पुत्र लक्ष्मीचंद जाति माली
6. बद्रीलाल पुत्र लक्ष्मीचंद जाति माली
7. किशनलाल पुत्र लक्ष्मीचंद जाति माली
8. चन्द्रमोहन पुत्र प्रभूलाल जाति माली
9. मनोज पुत्र प्रभूलाल जाति माली
10. विशिष्ट सैनी पुत्र पूरणमल जाति माली
11. गोविन्द पुत्र सूरजमल
12. हेमराज पुत्र छीतरलाल जाति माली
13. रमेशचंद पुत्र छीतरलाल जाति माली
14. सत्यप्रकाश पुत्र छीतरलाल जाति माली
15. रामावतार पुत्र छीतरलाल जाति माली
16. गायत्री पुत्री छीतरलाल जाति माली
17. आशा बाई पुत्री छीतरलाल
18. जोगेन्द्र पुत्र भीमंचद माली
19. रेखा पुत्री भीमचंद जाति माली
20. दीपिका पुत्री भीमचंद माली

    निवासीगण ग्राम खेड़ारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान
21. दी स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राज.

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री दीनानाथ गालव, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक रेस्पो. संख्या 13 लगा. 15 की ओर से।
3. श्रीमती मंजू मीणा, अभिभाषक रेस्पो. संख्या 8, 12 लगायत 20 की ओर से।

निर्णय **दिनांक 24.11.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 08/2016 मे पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि ग्राम खेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में वादीगण एवम प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते कब्जे की आराजी खसरा संख्या 17 रकबा 1.06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 19 रकबा 1.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 23 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा संख्या 24 रकबा 0.32 हैक्टेयर स्थित है। उक्त आराजी संयुक्त खाते की आराजी है जिस पर वादीगण एवम प्रति० अपने अपने हिस्से अनुसार सम्पूर्ण भूमि पर काबिज है। उक्त आराजी मे वादीगण का 1/4 हिस्सा, प्रति० हरदेव का 1/4 हिस्सा, प्रति० बिरधीलाल, बद्रीलाल किशनलाल का 1/8 हिस्सा, चन्द्रमोहन मनोज का 1/24 हिस्सा विशिष्ट सेनी का 1/24 हिस्सा गोविन्द का 1/24 हिस्सा, हेमराज रमेशचन्द्र सत्यप्रकाश, रामावतार का 11/56 हिस्सा गायत्री बाई आशा बाई का 1/28 हिस्सा जोगेन्द्र रेखा दीपिका का 1/56 हिस्सा निहित है जो जमाबंदी में अंकित है। उक्तानुसार वादीगण एवम प्रतिवादीगण काबिज है। उपरोक्त आराजी अभी संयुक्त खाते में है जिससे वादीगण अपनी हिस्से भूमि का डवलपमेन्ट नहीं कर सकते है तथा लगान पिलाई आदि में भी काफी परेशानी आती है इसलिये वादीगण चाहते है कि उक्त आराजी का विधिवत बटवारा होजावे तथा पृथक खाता व लगान कायम हो जावे जिससे वादीगण अपनी भूमि का डवलपमेन्ट कर सके। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार उक्त आराजी का विधिवत बटवारा करवाने के लिये कहा लेकिन प्रतिवादीगण इसके लिये तेयार नहीं है। प्रतिवादी वादीगण के कब्जे में दखलन्दाजी कर रहे है तथा बिना बटवारा भूमि हुए पर्टीकुलर नम्बर की आराजी का बेचान करने पर आमादा है इसलिये प्रति० के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगया है। वाद कारण अंतिम बार दिनांक 11–1–2016 को

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से उक्त भूमि का बटवारा करवाने की कहने पर तथा उनके द्वारा इन्कार होने पर उत्पन्न हुवा है जो लगातार है। प्रति० राजस्थान सरकार को लेन्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है उसके विरूद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई है। विवादित आराजी पटवार हल्का खेडा भू अभिलेख नि. क्षेत्र रायपुरा मे स्थित है इस कारण उक्त वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जावे– (1) कि आराजी ग्राम खेडा तहसील लाडपुरा की ख० न0 17,19, 23,24 कुल 4 किता कुल रकबा 2.96 हेक्टर आराजी वादीगण एवम प्रतिवादीगण के मध्य जमाबंदी मे हिस्सा वर्णिता अनुसार बटवारा किया जावे तथा अच्छी भूमि में से अच्छी व बुरी भूमि मे से बुरी भूमि दिलवाई जावे तथा पृथक खाता व लगान किया जावे तथा पृथक से वादीगण को हिस्से में प्राप्त भूमि पर कब्जा दिलवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। (2) कि वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से कब्जे व खाते की आराजी जो वादीगण को बटवारा मे प्राप्त हुई है पर किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे और वादीगण को शांति पूर्वक काश्त करने दे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न अपने एजेन्ट से करवावे। (3) कि खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें। (4)कि अन्य जो न्यायोचित सहायता हो वह भी प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04.2024 को वादग्रस्त आराजी के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2024को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस

तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 13 से 15 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 8, 12 से 20 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट को उक्त अंतिम निर्णय व डिक्री की जानकारी होते ही अपीलांट ने अंतिम डिक्री के निर्णय के लिए दिनांक 14.2.2025 को आवेदन किया जिसकी प्रति 17.2.2025 को प्राप्त हुई, इस प्रकार दिनांक 12.4.2024 से 14.2.2025 का समय समायोजित करते हुए अपील अवधि मध्य पेश की जा रही है, जिसमे हुई देरी को कंडोन फरमाते हुए अपील अवधि मध्य सुमार की जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्त में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व रूऐदाद मिसल होने से काबिल निरस्तनीय है। अंतिम डिक्री के पूर्व अपीलांट को न तो सुना गया न ही अपीलांट कम 2 व 3 को पक्षकार बनाया गया जिस आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा था उसे अनुचित रूप से रेस्पो. कम 1 ता 4 को दर्शित कर दिया गया जो कि अपने आप मे त्रुटिपूर्ण है। विभाजन की डिक्री मे न्यायालय द्वारा राजस्व नियमो के अनुसार नियम 18 लगायत 21 की जो पालना की जानी चाहिये थी उसकी कोई पालना नहीं की गयी। अपीलांट को सुने बिना ही अंतिम डिक्री का प्रारूप अनुचित रूप से प्रस्तुत कर दिया जिसे देखे बिना ही अंतिम डिक्री पारित कर दी गयी। खसरा नं 880 का कोई रकबा नही होते हुए भी खसरा नं 820 के चार टुकडे कर दिये गये ओर जिस आराजीयात पर अपीलांट काबिज है, जिसमे उसके ट्यूबवेल लगे हुए है, कमरे बने हुए है, उक्त आराजीयात में रेस्पो. कम 1 ता 4 को दर्शाने में भारी भूल की है। जिस नक्शे मे खसरा नं 885/820 बताया गया है, उस आराजीयात व उससे लगी हुई आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा है, कब्जे को देखे बिना ही अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी आराजीयात का आंकलन किये बिना अधी. न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित करने में भारी

भूल की है, ओर इससे अपीलांट के हितो पर कुठाराघात हुआ है, आज की तिथि मे भी नक्शे के अनुसार खसरा नं 885/820, 821 की भूमि पर अपीलांट का कब्जा है, तथा वर्तमान मे उसमे ट्यूबवेल लगा हुआ है व गैहूं की फसल खडी हुई है, कृषको के कब्जे को देखे बिना ही मौके को देखे बिना ही न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध व गैरकानूनी है। अपीलांट की कब्जा शुदा भूमि पर अपीलांट की देवीमाता जी का चबूतरा भी बना हुआ है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी. न्यायालय की अंतिम डिक्री को अपास्त कर उसे संशोधित किया जावे अपीलांट के कब्जे को देखते हुए सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनःनिर्णय पारित किये जाने के आदेश प्रदान करे, तथा इस आशय का आदेश प्रदान करे, रेस्पो. कम 1 लगायत 4, उक्त अंतिम डिक्री के आधार पर उक्त आराजी पर कब्जा नहीं करे, न ही खुर्द–बुर्द कर बेचान करे, तथा शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में बाधा पैदा नहीं करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो अपीलांट के पक्ष में हो अता फरमाई जावे। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2024 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 13 लगायत 15 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में हस्तगत प्रकरण में पक्षकार रहे है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2024 की प्रारंभ से ही जानकारी रही है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2024 की जानकारी होने के बावजूद भी अपीलांटगण द्वारा जानबूझकर विलम्ब से अपील पेश की गई है। विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण अपीलांटगण ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अपीलांटगण ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किए है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज किए जाने योग्य है। अपीलांटगण एवं अन्य प्रतिवादीगण तथा वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के हिस्से अनुसार विभाजन किया जाकर पृथक रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने का निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री में किसी भी पक्षकार का हिस्सा कम अथवा अधिक नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री से अपीलांटगण को किसी प्रकार

की आपत्ति नहीं है। अपीलांटगण द्वारा केवल अंतिम डिक्री के विरूद्ध अपील पेश नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री में वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउंडस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने का आदेश अंकित किया गया है। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तैयार करवाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित किया गया है। प्राथमिक डिक्री की पालना में तैयार किए गए विभाजन प्रस्ताव पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर अंकित है। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव में किसी भी पक्षकार का हिस्सा कम अथवा अधिक नहीं किया गया है। विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री की पालना में तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव में किसी प्रकार की विधिक एवं प्रकियात्मक त्रुटि नहीं है। उक्त विधि सम्मत रूप से तैयार किए गए विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2024 में किसी प्रकार की विधिक एवं प्रकियात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2024 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया ।

9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 8, 12 लगायत 20 ने अपनी बहस में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 13 लगायत 15 की बहस का समर्थन किया तथा अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

10. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया।

उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से मियाद के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की ओर से वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम खेडा लाडपुरा की खसरा संख्या 17, 19, 23, 24 कुल किता 4 रकबा 2.96 हैक्टेयर आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य जमाबंदी में वर्णित हिस्से अनुसार विभाजन किया जाकर अच्छी भूमि में से अच्छी तथा बुरी भूमि में से बुरी अनुसार विभाजन किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2024 के विरूद्ध पेश की है। प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपीलांट द्वारा कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गई है। अतः हस्तगत प्रकरण में उभयपक्षकारान के मध्य विवाद वादग्रस्त आराजी में हक हिस्से को लेकर नहीं होकर केवल वादग्रस्त आराजी के मोके पर विभाजन को लेकर ही है। हस्तगत अपील में अपीलांटगण का कथन रहा है कि अपीलांट संख्या 2 व 3 को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार कायम नहीं किया गया, अपीलांटगण को सुना नहीं गया, राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई तथा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन नहीं किया गया। साथ ही अपीलांटगण का यह भी कथन है कि विभाजन प्रस्ताव में अंकित खसरा संख्या 885/220 पर केवल अपीलांट का कब्जा है, जिसमें अपीलांट के दो कमरे, ट्यूबवेल एवं देवीमाता का चबूतरा अदि बने हुए है। अपने कथनों के समर्थन में अपीलांट द्वारा मोके के कथित फोटोग्राफ प्रस्तुत किए है जिनमें ट्यूबवेल, कमरे एवं देवता का चबूतरा आदि बने होना अंकित है, हालांकि विधिवत रूप से मोका रिपोर्ट प्राप्त किए बिना इसकी पुष्टि किया जाना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2022 में वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज पक्षकारान के हिस्से अनुसार तथा पक्षकारान की उपस्थिति में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तैयार किए जाने हेतु तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में विभाजन प्रस्ताव संलग्न है जिस पर दिनांक 05.05.2023 अंकित है। कार्यालय तहसीलदार(भू0अभि0) तहसील लाडपुरा जिला कोटा के पत्र कमांक 3800 दिनांक 29.05.2023 में उक्त विभाजन

प्रस्ताव दिनांक 05.05.2023 अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित किया जाना अंकित है। उक्त विभाजन प्रस्ताव मे अपीलांट द्वारा कथित स्वयं के कब्जे की खसरा संख्या 885/220 की भूमि के मोके पर किसी प्रकार का निर्माण तथा कब्जे के सम्बंध में कोई अंकन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 04.07.2023 में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने तथा वास्ते बहस विभाजन प्रस्ताव बाबत फाईनल डिक्री हेतु नियत किए जाने का आदेश अंकित है। चूंकि अपीलांटगण का हस्तगत अपील में कथन रहा है कि प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव में अंकित खसरा संख्या 885/220 पर केवल अपीलांटगण का कब्जा होकर मोके पर कमरे व देवता का चबूतरा आदि बने हुए है, अतः ऐसी स्थिति में हमारे मत में कृषि भूमि के विभाजन हेतु बनाए गए राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 20(घ) के अनुसार अपीलांट के तथाकथित कब्जे वाले भू–भाग को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना आवश्यक था तथा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत आपत्तियों का विधि अनुसार निस्तारण करते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री पारित किया जाना कूननन आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए बिना ही पत्रावली सीधे ही विभाजन प्रस्ताव पर बहस हेतु नियत की गई है। चूंकि अपीलांट संख्या 2 व 3 को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार कायम नहीं किया गया अतः अपीलांट सख्या 2 व 3 उक्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रकट नहीं कर सके। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में अपीलांटगण को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत किए जाने बाबत कोई नोटिस/सूचना–पत्र जारी किए जाने का कोई आदेश अंकित नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटगण की आपत्ति लिए बिना ही प्रश्नगत अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2024 पारित की गई है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में अपीलांट संख्या 2 व 3 को प्रकरण में पक्षकार कायम किया जाकर अपीलांटगण एवं अन्य सभी पक्षकारान की उपस्थिति में वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना आवश्यक है, साथ ही विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत प्रस्तुत की गई आपत्तियों का विधिवत निस्तारण करते हुए अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 8/2016 में पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2024 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट संख्या 2 व 3 को प्रकरण में पक्षकार कायम करें। उभयपक्षकारान की उपस्थिति में वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया जावे। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जावे। विभाजन प्रस्ताव पर प्रस्तुत की गई आपत्तियों का विधिवत निस्तारण करते हुए, राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में वादग्रस्त आराजी के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करें। पक्षकार दिनाक 29.12.2025 को स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

13. निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/11/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा